(घ) डेरी फार्मिंग को प्रोत्साहन ।

9. ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में :–

(क) छाटे और ग्रामोद्योग तथा अन्य रोजगार सम्भावनाओं का सर्वेक्षण तथा काम में लगाना;

(ख) कुटीर उद्योग और कला तथा शिल्प के लिए आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराना;

(ग) ग्रामीण शिल्पकारों द्वारा कुटीर उद्योगों के लिए आधुनिक और उन्नत उपकरणों से उत्पादन का प्रयास किया जाना और उन्हें ऐसे उपकरण आसानी से उपलब्ध करवाया जाना;

(घ) शिल्पकारों को उद्योगों और हस्तशिल्प में प्रशिक्षण के प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना;

(ङ) सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योग का गठन, प्रबन्धन तथा विकास उपलब्ध कराना ।

10. समाज कल्याण के क्षेत्र में :–

(क) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की नीति के अनुसार किसी भी मादक पदार्थों की बिक्री तथा सेवन को नियंत्रित करना;

(ख) गाँव में भूमि हस्तान्तरण रोकना और अनुसूचित जनजातियों के किसी भी अवैध भूमि हस्तान्तरण को बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई करना;

(ग) किसी भी नाम वाले ग्रामीण मार्केट का प्रबन्धन;

(घ) अनुसूचित जनजातियों को पैसे उधार देने वालों पर नियंत्रण रखना;

(ङ) संस्थानों और सभी सामाजिक क्षेत्रों के तंत्रों पर नियंत्रण रखना;

(च) स्थानीय योजनाओं और ऐसी योजनाओं के संसाधनों पर नियन्त्रण रखना ।

11. गाँव के लघु जलाशयों की योजना और प्रबन्धन ।

12. धारा 34 के तहत अनुदान की शर्तों के अनुसार, भूराजस्व संबंधी किसी विधि द्वारा अथवा के तहत, समय–समय पर निर्धारित तरीकों तथा रूप, जो भी हो, में भू–राजस्व संबंधी अभिलेखों का अनुरक्षण ।